"विज्ञप्ति"

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः135/XXIII/ 2020/04(01)2020/देहरादून दिनांक 22 फरवरी 2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित उत्तराखण्ड, आबकारी नीति विषयक नियमावली 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित एफ०एल०–5डी० (विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों) की प्रथम चरण के व्यवस्थापन के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा की दुकानों के दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए व्यवस्थापन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित है:–

क० सं०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	द्वितीय चरण आवेदन प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 21.03.2020 समय 05.00 बजे अपरान्ह तक
2	लाटरी की तिथि	दिनांक 23.03.2020 प्रातः 10.00 बजे से आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने तक।

द्वितीय चरण के व्यवस्थापन हेतु अवशेष विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व सहित सम्पूर्ण विवरण जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय, विभागीय बेवसाईड www.uttarakhandexcise.org.in एवं www.tehri.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

।। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढवाल ।।

संख्या 478 /5–आब/वि०म०दु०–व्यवस्थापन/2020–21/नई टिहरी, दिनांकः मार्च 19 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त, आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय बेवसाईड पर उक्त को अपलोड कराने का कष्ट करे।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार, टिहरी गढ़वाल को नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाईट www.tehri.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में सरकारी दर से दिनांक 20.03.2020 को प्रकाशित होने वाले संस्करण में सम्पूर्ण उत्ताराखण्ड परिशिष्ट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
7. सूचना पट जिला कार्यालय, टिहरी/सूचना पट नजारत, टिहरी पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।
8. क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित तहसील कार्यालयों में दुकानो का विवरण जनसामान्य के अवलोकनार्थ सूचनापट पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।

जिला आबकारी अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Scanned with CamScanner